(वाद सं0–3288/4/21/2021)

06.06.2022

परिवादी, डॉ0 अताउर रहमान, सहायक प्रोफेसर, फारसी विभाग, जे0एम0डी0पी0एल0महिला कॉलेज, मधुबनी उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी को दिनांक–11.12.2020से आज तक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर कुल सचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। कुल सचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि एक अनिल कुमार मंडल के आवेदन पर परिवादी के विरूद्ध फर्जीवाड़ा के आरोप में त्रि–सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। उक्त त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जब तक परिवादी के नियमितीकरण के संबंध में राज्य सरकार का कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है, तबतक उनके वेतन को अवरूद्ध रखा जाय।

उक्त पर परिवादी द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के समक्ष अभ्यावेदन दिया गया जिसकी सुनवाई निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की गयी। निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा सुनवाई के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

1. विश्वविद्यालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–6098/97 में दिनांक–12.10.2004 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में डॉ0 अताउर रहमान का सेवा सामंजन किया गया है, ऐसी स्थिति में डॉ0 रहमान के वेतन भुगतान का प्रारम्भ करने पर निर्णय एक सप्ताह के अन्दर लेकर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. चतुर्थ चरण के महाविद्यालयों में विभागीय निदेश के आलोक में स्थानांतरण पर निर्णय के लिये विश्वविद्यालय स्वयं सक्षम है।

3. उपर्युक्त तथ्यों से असहमति की स्थिति में विश्वविद्यालय अथवा डॉ0 रहमान सक्षम प्राधिकार से दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे।

परिवादी का कथन है कि निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के उपरोक्त निर्देश का कुल सचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। फलतः निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा अपने ज्ञापांक–1524, दिनांक–28.12.2021 के द्वारा परिवादी के मामले के निष्पादन तक कुल सचिव के वेतन अवरूद्ध करने का आदेश पारित किया गया।

परिवादी का कथन है कि उपरोक्त के बाद उसे विश्वविद्यालय द्वारा कुल 8,43,344/–रुपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया जिसमें से 2,89,903/–रुपये की कटौती महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के खाता में की गयी। परिवादी का कथन है कि उसे कुल–21लाख रूपये का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना चाहिए था। परिवादी का यह भी कथन है कि विश्वविद्यालय द्वारा कम भुगतान के संबंध में उसके द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के समक्ष अभ्यावेदन दिया गया है, जो वर्त्तमान में सुनवाई हेतु लंबित है।

परिवादी के उपरोक्त कथन के आलोक में **निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना से अनुरोध है कि परिवादी के वेतन भुगतान से संबंधित दावे पर यथाशीघ्र नियमानुसार निर्णय लेना सुनिश्चित किया जाय ताकि परिवादी को आर्थिक संकट न हो तथा उक्त के संबंध में कृत कार्रवाई से परिवादी को भी अवगत करा दिया जाय।**

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना को भेजते हुए आदेश की प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी भेज दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>